

25.07.18

करौली

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। जिस पीठासीन  
अधिकारी के विरुद्ध आपेय लगाकर यह शर्मा-पत्र पेश  
किया गया है, वह स्थानांतरित हो चुके हैं। अतः  
शर्मा-पत्र के प्रभावहीन हो जाने के कारण शर्मा-पत्र  
बाबरू स्थानांतरण प्रकरण खारिज किया गया है।  
अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की जाते के  
साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फंसल नुमांश देकर  
बाद वकील दाखिल दफ्तार हो।

अ. अ.  
जिला कलक्टर  
करौली